# न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल ( आर0ए0एस0 )
मिसल न0– 11 / 2024
अनवान :–

1. ओमकंवर पत्नी मोहनसिह जाति राजपूत निवासी हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

सायला

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

असल गैरसायल

2. गोपालसिह पुत्र रघुनाथसिह जाति राजपुत निवासी काली पहाडी तहसील व जिला झुझनू
3. ब्रहमदेवसिह पुत्र रघुनाथसिह जाति राजपुत निवासी काली पहाडी तहसील व जिला झुझनू।

– तरतीबी गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 ,129 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अभिभाषक, सायला
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक : 03/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 ,129 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 134 / 125 के खसरा न0 61 / 2 की 4.0480हैक भूमि सायला एव तरतीबी गैरसायल संख्या 5 / 16 हिस्सा तरतीबी गैरसायल संख्या 2 का 11 / 32 हिस्सा एवं तरतीबी गैरसायल संख्या 3 का 11 / 32 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायला व तरतीबी गैरसायला संख्या 2 ,3 के पडोसी काश्तकार सायला की खातेदारी भूमि की सीव डोल तोडकर सायला की भूमि में काबिज होने की फिराक में है सायला रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 134 / 135 के खसरा न0 61 / 2 की 4.0480हैक भूमि की पैमाईश करवाकर पुख्ता सीमा चिन्ह करवाना चाहती है।

सायला ने गैरसायल संख्या 1 को कई बार निवेदन किया की सायला व तरतीबी गैरसायल संख्या 3 ,4 की भूमि रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 134 / 125 के खसरा न0 61 / 2 की कुल 4.0480हैक भूमि की पैमाईश करवाकर पत्थरगढी कायम कर देवे तो गैरसायल संख्या 1 इन्कार हो गया इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सायला व तरतीबी गैरसायल संख्या 2 ,3 की रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 134 / 135 के खसरा न0 61 / 1 की कुल 4.0480हैक भूमि की पैमाईश करवाई जाकर पत्थरगढी कायम करने के आदेश फरमावे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल संख्या 2 ,3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायला के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया तथा पेरोकार राज ने मौका रिपोर्ट पेश कर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

गैरसायल संख्या 2 ,3 का ईकबाल [illegible] व गैरसायल संख्या 1 की मौका रिपोर्ट शामिल मिसल किया जाकर [illegible] गई।

सायला के अधिवक्ता [illegible] प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 134 / [illegible] के खसरा न0 61 / 2 की 4.0480हैक भूमि सायला एव तरतीबी गैरसायल संख्या [illegible]6 हिस्सा तरतीबी गैरसायल संख्या 2 का 11 / 32 हिस्सा एवं तरतीबी गैरसायल संख्या 3 का 11 / 32 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:15:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायला व तरतीबी गैरसायला संख्या 2 ,3 के पडोसी काश्तकार सायला की खातेदारी भूमि की सीव डोल तोडकर सायला की भूमि में काबिज होने की फिराक में है सायला रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 134/135 के खसरा न0 61/2 की 4.0480हैक्‍ भूमि की पैमाईश करवाकर पुख्ता सीमा चिन्ह करवाना चाहती है सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निशानदेही /पत्थरगढी करवाने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की वाद भूमि सायला एव गेरसायल संख्या 2 ,3 के नाम सयुक्त खाता में दर्ज है मौका पर वाद भूमि के तीनों तरफ मेड बनी हुई है एक तरफ तारबन्दी की हुई है जो दलीपसिह के द्वारा बान्धा गया है सभी पक्षकारों को पैमाईश का समय आने पर नियमानुसार पैमाईश करवाई जा सकती है एवं निशानदेही एव पत्थरगढी करवाई जा सकती है किन्तु वर्तमान में वाद भूमि की पैमाईश सम्भव नही है सायला का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 134/125 के खसरा न0 61/2 की 4.0480हैक्‍ भूमि सायला एव तरतीबी गैरसायल संख्या 5/16 हिस्सा तरतीबी गैरसायल संख्या 2 का 11/32 हिस्सा एवं तरतीबी गैरसायल संख्या 3 का 11/32 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायला का कथन है कि उक्त खसरा न0 61/2 की भूमि की पैमाईश करवाने के उपरान्त पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया गया है जबकि पेरोकार राज का कथन है कि पूर्व में पैमाईश करवाई गई थी यदि सायला उससे सन्तुष्ट नही है तो पूनः पैमाईश करवाई जा सकती है और पैमाईश में निशानदेही देने के उपरान्त पत्थरगढी की कार्यवाही भी नियमानुसार की जा सकती है किन्तु वर्तमान में सभी काश्तकारों के द्वारा फसल काश्त की जा चुकी है फसल कटने पर पैमाईश का समय आने पर ही पैमाईश पत्थरगढी की कार्यवाही की जा सकती है।

सायला को रोही मौजा मुन्सरी के खसरा न0 61/2 की 4.0480हैक्‍ भूमि की पैमाईश पूर्व में करवाई जा चुकी है सम्भवतय सायला पूर्व में करवाई गई पेमाईश से सन्तुष्ट नही होना पाया जाता है।

सायला ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नही किया की उसकी भूमि पर कौन व्यक्ति काबिज है ओर किस दिशा में है ना ही अपने प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है मात्र पेरोकार राज /राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया है जिसके द्वारा सायला की भूमि पर कोई कार्यवाही नही की गई है मात्र कथन के आधार पर सायला किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है।

सायला के प्रार्थना पत्र एव प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार सायला का प्रार्थना पत्र भूमि पैमाईश से सम्बधित पाया जाता है पैमाईश होने के उपरान्त ही ज्ञात होगा की सायला की भूमि पर अन्य कोई काश्तकार काबिज है या नही पत्थरगढी की आवश्यकता है या नही पेरोकार राज का कथन है समय आने पर नियमानुसार सभी पक्षकार की उपस्थिति में पेमाईश करवा दी जावेगी यदि आवश्यकता हुई तो पत्थरगढी भी करवा दी जावेगी किन्तु पैमाईश का समय आने पर ही पैमाईश सम्भव है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायला का प्रार्थना भूमि पैमाईश उपरान्त पत्थरगढी का पाया जाता है जो पैमाईश का समय आने पर करवाने हेतु पेरोकार राज का कथन है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि सायला एव तरतीबी गैरसायल संख्या 2 ,3 की भूमि रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 134/125 के खसरा न0 61/2 की 4.0480हैक्‍ भूमि की नियमानुसार सभी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए समय आने पर टीम गठित की जाकर पैमाईश करवाई जानी सुनिश्चित करे एवं यदि आवंश्यकता हो तो नियमानुसार पत्थरगढी करवाने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित [illegible] आदेश [illegible] तहसीलदार नोहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष [illegible] वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर [illegible]

निर्णय आज दिनांक [illegible] को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी ( राजस्व )
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:15:50 IST
Reason: SelfAttested